

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्या:- 35/2021

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.संतोष पत्नि श्री ओगडराम जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.मंगलाराम पुत्र श्री बदरीराम वगैरा एव दावे मे क्रम संख्या 2 से 13 तक समस्त 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादी की और से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा उपस्थित
02.प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।


आदेश

दिनांक:- 5/11/2024

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2022 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 66 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 10.07.2024 मय मौका फर्द दिनांक 20.03.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01.इन्द्रा पत्नि जोधाराम का हिस्सा 24/2625 जाति मेगवाल सा देह खातेदार	66	1.8717	4.16	बारानी द्वितीय
	02.कमला पत्नि सुजाराम का हिस्सा 675/4625 जाति मेघवाल सा कमला नेहरू नगर जोधपुर खातेदार				
	03.कविता पत्नि चैनाराम का हिस्सा 25/4325 जाति मेघवाल सा देह खातेदार	01	1.8717	4.16	बारानी द्वितीय
	04.ढलाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल का हिस्सा 54/4625 जाति मेघवाल सा तनावडा जोधपुर				
	05.ढलाराम मेघवाल पुत्र रणछोडराम का हिस्सा 58/4625 शेष जमाबन्दी अनुसार				
	06.पुखराज पुत्र बीजाराम जाति मेघवाल का हिस्सा 29/4625 सा देह खातेदार				
	07.पपीया पुत्र बदरीराम का हिस्सा 780/4625 जाति मेघवाल सा देह खातेदार				
	08.बन्शीलाल मेघवाल पुत्र अनाराम मेघवाल का हिस्सा 21/4625 सा 106 मेघवालो का बसा तनावडा जोधपुर				
	09.मुकनाराम पुत्र चुतराराम का हिस्सा 29/4625 जाति मेघवाल सा गगाणा जोधपुर खातेदार				
	10.मंगलाराम पुत्र बदरीराम का हिस्सा 1980/4625 जाति मेघवाल सा देह खातेदार				
	11.मीरादेवी पत्नि ढलाराम का हिस्सा 54/4625 जाति मेघवाल सा तनावडा जोधपुर				
	12.रेशमा पत्नि पपाराम का हिस्सा 58/4625 जाति मेघवाल सा देह खातेदार				
	13.श्रवणराम पुत्र सोहनलाल का हिस्सा 29/4625 जाति मेघवाल शेष बदस्तुर जमाबन्दी				



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

	14. शारदा पत्नि इन्द्राराम का हिस्सा 29/4625 जाति मेघवाल सा गंगाण जोधपुर 15. सजीया पुत्र बदरीराम का हिस्सा 780/4625 जाति मेघवाल सा देह खातेदार				
B	01. सन्तोष पत्नि ओगडराम का हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा, देह खातेदार	66	0.0465	0.10	बारानी द्वितीय
		01	0.0465	0.10	बारानी द्वितीय

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 20.03.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 20.03.2024 डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी)



डिकरी बमुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 35 / 2021

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.संतोष पत्नि श्री ओगडराम जी जाति मेधवाल निवासी ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.मंगलाराम पुत्र श्री बदरीराम वगैरा एव दावे मे क्रम संख्या 2 से 13 तक समस्त 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 35/2021 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददर्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 20.03.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।


नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख *Shikhar* को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा न	स्वाम्य		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	दावा	मीजान



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी